इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जून 2016—आषाढ़ 9, शक 1938

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. 18-1-91-मध्यम-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 40, 92 एवं 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 71-क में, उपनियम (तीन) में,—

(एक) खण्ड (ग) से स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) यदि औद्योगिक इकाई जल आवंटन आदेश जारी होने की तारीख के 48 मास के भीतर औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ नहीं करती है तो औद्योगिक इकाई आवंटित जल की वार्षिक मात्रा पर देय जलकर तथा उपकर के 5 प्रतिशत के समतुल्य जलकर का भुगतान करेगी. औद्योगिक इकाई को उपरोक्त शुल्क केवल एक वार्षिक किस्त में अथवा प्रतिमाह जमा कराने का विकल्प होगा :

परन्तु यह उपबंध मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी को लागू नहीं होगा;

उन औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में, जिन्हें जल का आवंटन अधिसूचना दिनांक 13-7-2012 के पूर्व किया गया है, 48 माह की गणना अधिसूचना दिनांक 22-6-2013 के लागू होने की दिनांक अर्थात् 13-7-2012 से की जाएगी तथा उन औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में, जिन्हें जल का आवंटन अधिसूचना दिनांक 13-7-2012 एवं दिनांक 22-6-2013 के पश्चात् किया गया है, 48 माह की गणना जल आवंटन के दिनांक से की जाएगी.".

(दो) खण्ड (ङ) से स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ङ) औद्योगिक इकाइयों को भिन्न-भिन्न इकाइयों में औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत करने का विकल्प होगा, बशर्ते ऐसी दो इकाइयों के मध्य उत्पादन प्रारंभ होने की अवधि में 6 माह से अधिक का अन्तर न हो, यदि ऐसी दो इकाइयों में औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक अलग-अलग हैं और अवधि में 6 माह से अधिक अवधि का अन्तर हो तो आवंटित जल की पूर्ण मात्रा के 90 प्रतिशत की दर से जलकर एवं उपकर प्रभारित किया जाएगा.

किसी औद्योगिक इकाई की भिन्न-भिन्न इकाइयों में औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ करने हेतु उपरोक्त खण्ड (ङ) के अधीन अधिकतम 6 माह की अवधि का लाभ सभी औद्योगिक इकाइयों को, अधिसूचना दिनांक 22 जून 2013 के लागू होने के दिनांक अर्थात् दिनांक 13 जुलाई 2012 से दिया जाएगा.".

NOTICE

No. 18-1-91-Medium-XXXI.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Irrigation Rules, 1974, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 40, 92 and 93 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Water Resources Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 71-A, in sub-rule (3),—

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) If industrial unit does not start industrial production within 48 months from the date of issue of water allocation order, then the industrial unit shall pay water tax equivalent to 5% of the water tax and cess payable on the annual allocation of water. The industrial unit shall have the option of depositing the above fees on a monthly basis or in a single annual instalment :

Provided that this provision shall not be applicable to the Madhya Pradesh Power Generating Company;

In respect of the industrial units which have been allocated water before notification dated 13th July 2012, 48 months shall be calculated from 13th July 2012, namely the date of application of notification dated 22nd June 2013 and for the industrial units which have been allocated water after notification dated 13th July 2012 and 22nd June 2013, 48 months shall be calculated from the date of water allocation.".

(ii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

"(e) The industrial units shall have an option to fix different dates for different units for commencing its industrial production, provided that the defference between the period of commencing the production in two such units is not more than six months. If commencing dates of starting production in two units is different and is more than 6 months, then the water tax and cess shall be charged at the rate of 90% of the total quantity of annual allocated water.

The benefit of maximum 6 months period under clause (e) above, for commencing industrial production in different units of an industrial unit, shall be given to all industrial units from 13th July 2012, namely the date of application of notification dated 22nd June 2013.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. कपूर, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.